कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 2914 / 12-1, कोटबंगला दिनांक 28/04/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

No - 650 / 1 कु०अ०
दि० 4-5-2023

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में माननीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड भटवाडी में भल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर–सिल्याण–निराकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण। प्रपोजल संख्या–FP/UK/ROAD/49632/2020.

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्रांक–1973 / 12–1 दिनांक 29.03.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा आप द्वारा विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र–2427 / 12–1 दिनांक 14.03.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या की शर्त सं0–03 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को आरक्षित / संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना को पुनः सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ आपके कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्र–2859 / 12–1 दिनांक 25.04.2023 से अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रारूप प्रेषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त उक्त मोटर मार्ग में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या नोडल कार्यालय द्वारा दिनांक 31.10.2022 को उच्च स्तर को प्रेषित की गई थी। जिसका अवलोकन करने पर कतिपय त्रुटियां पायी गई है। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा 02 बिन्दुओं की आख्या मागी गई है। उक्त 02 बिन्दुओं की निराकरण आख्या परियोजना पर विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है–

क्र.सं	शर्त / त्रुटि का विवरण	निराकरण
1	राज्य सरकार रूपये 15,76,334 / – की सी0ए0 योजना जिसके आधर पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है की प्रति प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	इस शर्त के अनुपालन में ग्राम मटटी तथा गोरसाडा में 4.25 हे0 भूमि में रोपण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 15,76,334.00 रू0 का प्राक्कलन संलग्न है। (संलग्नक–1)
2	शर्त सं0–03 (ख) की अनुपालना में राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 2.4 (i) के अनुसार ,विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल एवं (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना इस कार्यालय के पत्र–2859 / 12–1 दिनांक 25.04.2023 द्वारा अग्रेत्तर कार्यावाही हेतु आपके कार्यालय को पूर्व में प्रेषित की गई है।(संलग्नक–2)

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– 1. अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के कम मे सूचनार्थ प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाडी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त सी0ए0 योजना को अपने स्तर से परिवेश पोर्टल पर आनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।